14.10.25 पत्रावली ... वकील वादी ने वादी ...
उपस्थित। वकील वादी ने वादी साक्ष्य बंद की पेश
की ओर से आवश्यक पत्र वास्ते साक्ष्य बंद की पेश
किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर
प्रदर्शों का अंकन करवाया गया। वाद पत्र पर
वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते
आदेश वाद पत्र दिनांक 25.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

25.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वादी का वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रामेश्वर दयाल बनाम राज. सरकार

मु.नं.– 58/24 किस्म – दावा

इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2024	14.08.2024	25.11.2025

बउनवान

1. रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।

..वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
2. गुड्डी पुत्री रामप्रसाद, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
3. फूलवती देवी पत्नी रामप्रसाद, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
4. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
5. रिंकेश पुत्र रामप्रसाद, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
6. सन्तोषी पुत्री रामप्रसाद, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
7. जगदीश पुत्र देवपाल, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
8. मुरारी पुत्र देवपाल, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।
9. रामनिवास पुत्र देवपाल, निवासी मण्डावर का अगला बास, मण्डावर, दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादी – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक प्रतिवादी 2 लगायत 9 –श्री महेन्द्र शर्मा ।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. वादी की ओर से दावा अन्तर्गत बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 1150 रकबा 0.57 हैक्टे., 1143 रकबा 0.27 हैक्टे., कुल किता 2 रकबा 0.84 हैक्टे. स्थित ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा में है। विवादित आराजीयात में वादी का क्रमशः 1/5 तथा 1/2 भाग है। शेष भाग प्रतिवादी सं. 2 लगायत 9 का है। विवादित आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम किशोरीलाल के नाम के स्थान पर गलती से देवपाल दर्ज हो रहा है जबकि वादी देवपाल का पुत्र नहीं होकर किशोरीलाल का पुत्र है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में पिता का नाम किशोरीलाल ही अंकित है तथा ग्राम मण्डावर में ही अन्य खाते में दर्ज खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.53 हैक्टे. में भी वादी के पिता का नाम रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है जिससे स्पष्ट है कि खाता संख्या 589, 590 में वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का नाम सहवन से अथवा राजस्व कर्मचारियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

की गलती से देवपाल दर्ज हो गया है जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है। देवपाल मीना पुत्र मूल्याराम मीना के प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता एवं पति रामप्रसाद तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 वारिस थे। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था तथा किशोरीलाल के एक मात्र वारिस रामेश्वर दयाल वादी ही वारिस है जिन्हें खातेदार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कोई वारिस नहीं है तथा रामेश्वर दयाल मीना पुत्र देवपाल मीना जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रहा है, वो राव रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकित है तथा उसके अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजों में भी उक्त अंकन है, वो एक ही व्यक्ति है। उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी नहीं है। उक्त गलत इन्द्राज के बने रहने से वादी को भारी क्षति हो रही है क्योंकि वह गलत इन्द्राज के आधार पर उसके नाम हो रही भूमि पर किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। वादी रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल को विवादित आराजीयात में हो रहे गलत इन्द्राज रामेश्वर दयाल पुत्र देवपाल को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा उक्तानुसार घोषणा फरमाया जाना आवश्यक है। इस बाबत वादी ने तहसीलदार मण्डावर को भी निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु आपको सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस कारण बिना किसी देरी के यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के विधिक प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उनके विरूद्ध दावा पेश किये जाने से पूर्व उन्हें दफा 80 जा.दी. का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक था लेकिन दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने से उन्हें नोटिस नही दिया जाकर दफा 80(2) जा.दी. की दर. अलग से प्रस्तुत की जा रही है। बिनाय दावा दिनांक 10.07.2024 का है कि वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई, तब उसे उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो वादी ने रिकॉर्ड सहित प्रतिवादी सं. 1 से मिला तथा उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया लेकिन उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया। इस कारण बिना किसी देरी के उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा वादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आराजी वर्णित मद संख्या 1 व 2 वाद पत्र ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा में हो रहे गलत इन्द्राज रामेश्वर दयाल पुत्र देवपाल मीना के स्थान पर रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल दुरूस्त किया जावे तथा उक्तानुसार रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर गलत इन्द्राज रामेश्वर दयाल पुत्र देवपाल के नाम के इन्द्राज को हजफ फरमाया जावे। दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्त सभी कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। दीगर दादरसी जो बहक वादी पायी जावे वह भी अता फरमाई जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 2 लगायत 9 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाब दावा में वादपत्र के अधिकतर बिन्दुओं को स्वीकार किया एवं कथन किया कि वादी रामेश्वर दयाल के पिता का नाम किशोरीलाल था। उसके पिता के नाम के स्थान पर सहवन से कुछ राजस्व रिकॉर्ड में देवपाल दर्ज हो गया है जबकि कुछ में सही नाम किशोरी लाल ही है जबकि उसके पिता का सही नाम किशोरी लाल ही है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है क्योंकि उसके पिता के नाम के आगे हमारे पिता एवं बाबा देवपाल का नाम लगे रहने से उससे हमें भारी क्षति हो रही है। इस कारण उक्त नाम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः रामेश्वर दयाल वादी के पिता का नाम देवपाल के स्थान पर उसके पिता का सही नाम किशोरी लाल दुरूस्त किये जाने की कृपा करें।

3. वाद पत्र में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपने पत्रांक भू. अ./2025/483 दिनांक 18.03.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि कि राजस्व ग्राम मण्डावर के आराजी खसरा नं. 1150 रकबा 0.27 हैक्टे. की खातेदारी गुड्‌डी पुत्री रामप्रसाद, फूलवती पत्नी स्व. रामप्रसाद, संतोषी पुत्री रामप्रसाद, रिंकेश, बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/5, जगदीश पुत्र देवपाल हिस्सा 1/5, मुरारी पुत्र देवपाल हिस्सा 1/5, रामनिवास पुत्र देवपाल हिस्सा 1/2 व रामेश्वर पुत्र देवपाल हिस्सा 1/5 जाति मीना निवासी मण्डावर के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। राजस्व ग्राम मण्डावर के आराजी खसरा सं. 1143 रकबा 0.57 हैक्टे. की खातेदारी फूलवती पत्नी स्व. रामप्रसाद, गुड्‌डी, सतोषी पुत्री रामप्रसाद, रिकेश, बाबू लाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/2, रामेश्वर पुत्र देवपाल हिस्सा 1/2 जाति मीना निवासी मण्डावर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल, जाति मीना, निवासी मण्डावर के नाम क्रमशः 1/5 व 1/2 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो कि रामेश्वर पुत्र देवपाल दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजों से मेल नही खाता है। उक्त खसरा सं. 1150 भू. प्रबंध के पूर्व खसरा नं. 367 दर्ज था। वादी द्वारा उक्त भूमि विक्रय–विलेख में होलरिया पुत्र हट्‌या, जाति मीना, निवासी मण्डावर से रामेश्वर, रामप्रसाद, रामनिवास, मुरारी, जगदीश पुत्रान श्री देवपाल, जाति मीना, निवासी मण्डावर के नाम क्रय द्वारा प्राप्त की गई। दिनांक 21.06.1989 के विक्रय–पत्र में भी वादी का पिता का नाम देवपाल दर्ज चला आ रहा है। खसरा सं. 1143 भू. प्रबंध से पूर्व खसरा सं. 360 दर्ज था जिसको वादी द्वारा विक्रय–विलेख में कजौडया पुत्र खैरया जाति मीना निवासी मण्डावर से रामश्वर, रामनिवास, रामप्रसाद, मुरारी व जगदीश पुत्रान देवपाल जाति मीना निवासी मंण्डावर के नाम दिनाक 15. 05.2085 को क्रय द्वारा प्राप्त किया गया जिसमें भी वादी का नाम रामेश्वर पुत्र देवपाल दर्ज है। उक्त अशुद्धि विक्रय पत्र में से ही हो गयी थी। वादी रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीना निवासी मण्डावर के नाम राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मण्डावर में दर्ज अन्य भूमि खसरा सं. 1151 रकबा 0.53 हैक्टे. में खातेदार रामेश्वर दयाल पुत्र किशोरीलाल के जैलाल पुत्र शंकर हि. 1/2, छोटेलाल पुत्र शंकर हि. 1/4 जाति मीना निवासी मण्डावर के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जबकि बिन्दु सं. 1 में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र देवपाल का नाम विक्रय पत्र के द्वारा अशुद्धि हुई है। इसमे राजस्व कर्मचारिया की गलती नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रा. पत्र संख्या 58/24 GCMS No.2024/189
रामेश्वर दयाल बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 25.11.2025

आदेश

9. वादी का वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

10. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज